


60

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट

श्री प्रदीप सिंह लातूर ग्वालियर
एड-एडवा. वेरा/ 3-5-14

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

कोर्ट रीवा म०प्र० गिज-1770-III-14



240
3-5-14

श्री आदित्य सिंह तनय श्री जवाहर सिंह आयू 85 वर्ष, सा० अमरैया, हुजूर
तह० जिला रीवा म०प्र०
-----अपीलार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

श्री दिनेश सिंह तनय जवाहर सिंह आयु 60 साल, सा० सिजहटा, तह० रामपुर
बघेलान, जिला सतना म०प्र०
-----गैरनिगरानीकर्ता

क्रमांक 1945
पोस्ट द्वारा आज
को प्राप्त

दिनांक 06-06-14
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध प्रारम्भिक आदेश दायरा
राजस्व अपील क्रमांक 37अ-6/13-14 में
पारित अनुविभागीय अधिकारी तह० हुजूर,
जिला रीवा म०प्र० आदेश दिनांक
08/02/2014 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता
की अपील अवधि बाधित मानकर निरस्त
करने की आज्ञा प्रदान की गई है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता

मान्यवर

विनम्रता पूर्वक निगरानी निम्न आधार पर प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 06/06/13 के विरुद्ध दिनांक 22/01/2014 को प्रस्तुत अपील प्रारम्भिक रूप से निराधार आधार दर्शाकर अधिकार से परे अवधि बाधित मानते हुये निरस्त किया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा कानून के विरुद्ध अधिकार से परे होने से निरस्त योग्य है।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

R 1770-III/14 शीषा
आदेश हैं / दिनांक हैं

15-9-15

प्रकरण पल्लुत।

• आवेकक व उसके दृष्टिकोण को तीत बाट
पुकार लगावडि गई. किलु सन्तोपमान्त
तीत चेदिपो से उपस्थित नही हो रहे हैं,
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आगे प्रकरण नही
चलाता चाहते हैं।

• अतः प्र. 5.12-रा. संदित को धारा 35(2) के अन्तर्गत
अपत देलनी के खीव किया जाता है।

शाक्षेमुग्वा-768-फॉर्म-23

प्र. 5.12-रा. संदित को धारा 35(2) के अन्तर्गत
अपत देलनी के खीव किया जाता है।

सदस्य.

M